क्र/निग0/रीवा/भू0रा0/2017/6015

48

न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा

जिला रीवा म0प्र0

Rs. 40/-

1- मुन्ना लाल साकेत } पिता
2- मनीलाल साकेत

दोनो निवासी थाना तहसील ,व गांव सेमरिया जिला रीवाम0प्र0

... निगरानी कर्ता गण

बनाम

1- दशरथ चौधरी पिता जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम थाना, तहसील सेमरिया जिला रीवा म0प्र0

2- म0प्र0 शासन ... गैर निगरानी कर्ता गण

अधि0श्री श्रीरामेश्वर प्रसाद तिवारी द्वारा पेश 11.12.17

रजिस्ट्रार आफ कोर्ट राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश श्री मान् तहसीलदार महोदय तहसील सेमरिया के द्वारा पारित क्रियान्वयन आदेश राजस्व प्रकरण क्रमांक 153अ74/2016-17 मे पारित आदेश दिनांक 23.9.2017 राजस्व प्र. दशरथ चौधरी विरुद्ध शासन को निरस्त किए जाने बावत ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू. राजस्व संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानीके संक्षिप्त मे सार

तथ्ययह है कि दशरथ चौधरी पिताजगदीश चौधरी द्वारा श्री मान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय सिरमौरके प्रकरण क्रमांक 37द6/अपील /2015-16 आदेश दिनांक 9.6.2017 के क्रियान्वयन हेतु अधीनस्थ न्यायालय श्री मान् तहसीलदार महोदय तहसील सेमरियाके समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कियागया, जिसमे तहसीलदार

क्र..

मनीलाल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक दो–निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/6015

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19/6/18	यह निगरानी तहसीलदार सेमरिया जिला रीवा के प्रकरण कमांक 153 अ 74/16–17 में पारित आदेश दिनांक 23–9–17 के विरूद्व म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक ने प्रारंभिक तर्को में बताया कि अनावेदक क–1 ने अनुविभागीय अधिकारी सिरमोर के आदेश दिनांक 9–6–17 के कियान्वयन के लिये तहसीलदार सिमरिया को आवेदन दिया था, जिस पर तहसीलदार सिमरिया ने पूर्व पीठासीन अधिकारी के आदेश दिनांक 19–11–11 के अनुसार आदेश दिनांक 27–7–17 पारित करके इतला दर्ज करने का गलत निर्णय लिया है, जबकि आवेदक वाद विचारित भूमि में हितबद्व पक्षकार है जिसके कारण उसे पक्षकार बनाये बिना एंव सुनवाई का अवसर दिये बिना तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 23–9–17 देना त्रृटिपूर्ण निर्णय की श्रेणी में है इसलिये निगरानी ग्राह्य करके अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मॅगाकर सुनवाई की जावे। 4/ आवेदक केअभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव तहसीलदार व्दारा पारित आदेश दिनांक 23–9–17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि तहसीलदार सेमरिया ने इस आदेश में निम्नानुसार निर्णय लिया है :– • श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सिरमोर के प्र.क. 36 अ 6/अपील/15–16 आदेश दिनांक 9–6–17 के अनुसार तहसीलदार	

सेमरिया के प्र.क. 17 अ 6/10–11 आदेश दिनांक 19–11–11 के अनुसार इतला कराने का आदेश हुआ है। दिनांक 27–7–17 को इतला दर्ज करने वावत् आदेश दिया गया है । अतः प्रवाचक प्रकरण दर्ज करते हुये इतला दर्ज करावें। पटवारी इतला दर्ज करे। *

विचार योग्य है कि क्या तहसीलदार समेरिया ने प्रकरण कमांक 153 अ 74/16–17 में पारित आदेश दिनांक 23–9–17 से पूर्वादेशानुसार इतला दर्ज कराने का निर्णय लेने में त्रृटि की है ? यदि तहसील न्यायालय किसी आदेश के पालन में इतला दर्ज कराने की कार्यवाही का निर्णय लेता है जब इतला दर्ज कराने वाले आदेश के विरूद्व अपील न होकर , उस आदेश के विरूद्व अपील पोषणीय होगी, जिन्होंने वादित भूमि पर फैसला सुनाकर किसी व्यक्ति विशेष को भूमिस्वामी माना है, जिसके आधार पर तहसीलदार ने इतला दर्ज कराने के आदेश दिये हैं। फलस्वरूप विचाराधीन निगरानी सुनवाई योग्य न होने से अमान्य की जाती है।

सदस्य